

11

कार्यालय

निदेशक

लेफ्टिनेंट

शिक्षा हरियाणा

आदेश क्रमांक 15/32-96 दि०-1121

दिनांक, पण्डीगढ: 10.10.96

के० एस० शैलजा टमानन्द पब्लिक स्कूल नं. 2 नैक्टर-7 फरीदाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से हाई स्तर की सम्बन्धित लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस तारीख पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली शत विभाग की रिपोर्टों की पालना करता रहेगा।

विभागीय रिपोर्टों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र माफित किया जा सकता है।

रतन ली० बघडा,

निदेशक लेफ्टिनेंट शिक्षा हरियाणा, पण्डीगढ।

पृ० ५३ तम

दिनांक, पण्डीगढ: 18/10/96

- इसकी एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को आशयक कार्यवाही एवं अनुनायक प्रेषित है:-
1. जिजा शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके बाटी क्र० जी-2-96 दिनांक 30.7. के तैरुम में।
 2. शाबाब, के० एस० शैलजा टमानन्द पब्लिक स्कूल नं. 2 फरीदाबाद
 3. तथिब, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली 110092.

Dr. J. P. S.

तथापि निदेशक शिक्षा हरियाणा-1

को निदेशक लेफ्टिनेंट शिक्षा हरियाणा, पण्डीगढ।